

Rajasthan Olive Cultivation Limited



(Joint Venture of Govt. of Rajasthan)

State Institute of Agriculture Management Campus,
Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018

Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106

Web: www.rajolive.com Email, rocl@rajolive.com

CIN: U01122RJ2007PLC024246 GST No. 08AADCR5870K1ZX

क्रमांक प.(302-बी) आर.ओ.सी.एल./2021-22/1237-38

जयपुर, दिनांक 31/08/2021

कोटेशनों हेतु अनुरोध

राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के जैतून फार्म बरौर, श्रीगंगानगर से जैतून फार्म लूणकरणसर, बीकानेर तक जैतून फलों के परिवहन का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य को करने हेतु फर्मों से अपने लेटर हैड पर दिनांक 03.09.2021 को दोपहर 02.00 बजे तक दरें (टैक्स रहित) प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दरों/कोटेशनों को दिनांक 03.09.2021 को दोपहर 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा।

क्र. स.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत राशि रु.	दर राशि रु. (टैक्स अतिरिक्त) प्रति किलो मीटर (अंको व शब्दों में)
1.	राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के जैतून फार्म बरौर, श्रीगंगानगर से जैतून फार्म लूणकरणसर, बीकानेर तक जैतून फलों के परिवहन का कार्य।	70,000	

संलग्न: शर्त

(एस0 एस0 शेखावत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक प.(302-बी) आर.ओ.सी.एल./2021-22/1237-38

जयपुर, दिनांक 31/08/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- कार्यालय सहायक को भेजकर लेख है कि कंपनी www.rajolive.com पर अपलोड करे।
- नोटिस बोर्ड मुख्यालय, जयपुर।

(एस0 एस0 शेखावत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Rajasthan Olive Cultivation Limited

(Joint Venture of Govt. of Rajasthan)



State Institute of Agriculture Management Campus,
Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018

Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106

Web: www.rajolive.com Email, rocl@rajolive.com

CIN:U01122RJ2007PLC024246 GST No. 08AADCR5870K1ZX

राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के जैतून फार्म बरौर, श्रीगंगानगर से जैतून फार्म लूणकरणसर, बीकानेर तक जैतून फलों के परिवहन का हेतु शर्तें –

1. दरें निविदा सूचना की शर्तों पर सहमति देते हुये निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत की जानी है।
2. कार्य देरी से करने पर कंपनी नियमानुसार 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक पेनेल्टी लगाई जावेगी।
3. परिवहन हेतु प्रयोग में आने वाले वाहन का न्यूनतम क्षमता 2 टन की होनी चाहिए।
4. जैतून फार्म लूणकरणसर, बीकानेर से लोटते समय खाली केरेट लानी होगी।
5. वाहन खाली आने पर दोनो तरफ का किराया दिया जावेगा।
6. जैतून फलों की लोडिंग व अनलोडिंग कंपनी स्तर से की जावेगी।
7. भुगतान वास्तविक किलोमीटर के अनुसार किया जावेगा। जिसका विवरण प्रस्तुत करना होगा।
8. टोल टैक्स का भुगतान अतिरिक्त किया जावेगा।
9. वाहन चालक को किसी प्रकार का रात्रि भत्ता नहीं दिया जावेगा।
10. बिल के साथ वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र, इश्योरेंश, फिटनेस व वाहन चालक के लाइसेंस की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
11. निविदादाता को डीजल, आयल आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी। इस हेतु कंपनी द्वारा किसी प्रकार का एडवांस नहीं दिया जावेगा।
12. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर क्षति/नुकसान की जिम्मेदारी कंपनी की नही होगी।
13. किसी भी प्रकार के परिवहन विभाग के चालान, जुर्माना व पेनेल्टी का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जावेगा।
14. नियमानुसार लागु टैक्स की कटौती की जावेगी।

निविदादाता के हस्तक्षर—


निविदादाता का नाम—

फर्म का नाम

पूर्ण पता—

मोबाइल नं.—

ईमेल—


(Anil Kumar)
Accountant


(Manoj Singh Dewal)
Manager (Olive Development), ROCL


(S.S. Shakhawat)
Chief Operation Officer, ROCL